



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1116]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2015/ज्येष्ठ 6, 1937

No. 1116]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2015/JYAISTHA 6, 1937

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

(Department of Revenue)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

आदेश

ORDER

नई दिल्ली, 25 मई, 2015

New Delhi, the 25th May, 2015

का.आ. 1414(अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी अधि
नियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सुश्री अर्चना
पांडेय तिवारी, संयुक्त सचिव, भारत सरकार को उक्त धारा के प्रयोजन के
लिए विशेष रूप से अधिकार प्रदान करती है।

S.O. 1414(E).—In exercise of the power conferred
by Sub-section(1) of Section 3 of the Conservation of
Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities
Act, 1974 (52 of 1974), the Central Government hereby
specially empowers Ms. Archana Pandey Tiwari, Joint
Secretary to the Government of India, for the purpose of
the said Section.

[फा. सं. 671/18/2001-कस्टम्स-VIII]

[F. No. 671/18/2001-Cuss.-VIII]

नीलेश गुप्ता, सहायक महानिदेशक (कोफेपोसा)

NILESH GUPTA, Asstt. Director General (Cofeposa)